भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4608
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं की कीमतों में संशोधन

4608. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी दवाओं की कीमतों में संशोधन किया गया है; और

(ग) कितने फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्यों में संशोधन किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): औषध विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 25.3.2025 की स्थिति के अनुसार 928 अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित दवाओं के इन अधिकतम मूल्यों को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुएं) के आधार पर वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। डब्ल्यूपीआई (सभी वस्तुएं) में वार्षिक परिवर्तन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्यों में दिनांक 01.04.2024 से 0.00551% की वृद्धि हुई थी। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(प) में परिभाषित नई औषधियों का खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के तहत दिनांक 25.3.2025 तक लगभग 3200 खुदरा मूल्य अधिसूचित किए हैं। फॉर्मुलेशनों, जिनके मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित किए गए हैं, की सभी मूल्य अधिसूचनाएं एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

*****